Sr. No.	Name of the Industrial Units under Negative list
22	Soft drinks (Aeroted water).
23	Asbestos products.
24	Distillary/Breweries.
25	Solvent extraction plants.
26	Oil Refinery (edible and non-edible).
27	Vegetable ghee.
28	Ice plants (including cold storage).
29	17 Highly polluting Industries, namely Fertilizer (Nitrogen Phosphate) Sugar, Cement, Fermentation and distillery, aluminium, petrol-chemicals, thermal power, oil refinery, sulphuric acid, tanneries, copper smelter, zinc smelter, iron and steel, pulp and paper, dye and dye intermediates, pesticides manufacturing and formulation and basic drugs and pharmaceuticals.
30	Cotton Spinning mill (except Hisar and Sirsa Districts).

Note :—

This amendment will not apply to the Industrial Units (i) which were established and got electric connection before 15th November, 1995; and (ii) which have already been granted exemption from the payment of the whole of electricity duty leviable under clause (iii) of the sub-section (i) of section 3 of the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958 as applicable to State of Haryana under the said notification No. 26/2/93-3MIP, dated 31st January, 1994.

VISHNU BHAGWAN,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Irrigation and Power Department.

हरियाणा सरकार

सिंचाई एवं बिजली विभाग

दिनांक 15/16 जनवरी, 1996

संख्या 26/2/95-3एम.आई.पी.—पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1958, हरियाणा राज्य में लागू, की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल एतद्द्वारा हरियाणा सरकार के सिंचाई तथा बिजली विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2/93-3 एम.आई.पी., दिनांक 31 जनवरी, 1994 में, 15 नवम्बर, 1995 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार के सिंचाई तथा बिजली विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2/93-3 एम. आई. पी., दिनांक 31 जनवरी, 1994 में वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची (नैगेटिव लिस्ट) प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

संख्या	औद्योगिक यूनिटों के नाम (नैगेटिव सूची)
1	तेल कोल्हू (आर. आई. एस. शामिल)
2	दाल मिलें व चावल मिलें (आर. आई. एस. शामिल)
3	इस्पात तथा लकड़ी फर्नीचर

संख्या	औद्योगिक यूनिटों के नाम (नैगेटिव सूची)
4	स्टोन क्रेशर (आर. आई. एस. शामिल) ।
5	बिजली के लिए उद्योग में लाई जाने वाली तारें और एक्स एल पी केबल तथा तंतु प्रकाशिकी केबल के अतिरिक्त बिजली केबल ।
6	क्लोरीन मुक्त पैराफिन वैक्स को छोड़कर पैराफिन वैक्स आधारित उद्योग और ऐसे उद्योग जहां पैराफिन वैक्स नाममात्र अर्थात् इकाई द्वारा प्रयुक्त कुल कच्चे माल का केवल 5 प्रतिशत तक अपेक्षित होता है ।
7	जी.पी./बी.पी. शीटों आदि की नालियां बनाना ।
8	झिल्ली सैल प्रोद्योगिकी पर आधारित के अतिरिक्त कास्टिक सोडा यूनिट ।
9	ट्रंक, बाल्टियां, गमले, खिड़कियां, ग्रिल, कड़ियां जैसी साधारण निर्माण की मदें ।
10	खाद्य विधायन उद्योगों को छोड़कर इथानोल (इथील अलकोहल) पर आधारित उद्योग ।
11	खाण्डसारी उद्योग ।
12	साधारण मिट्टी की बनी हुई ईंटें जिनमें ऐसी यंत्रीकृत ईंटें शामिल हैं, जहां साधारण मिट्टी की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक है ।
13	थिनर्स ।
14	0·5 मी·ट. से अधिक क्षमता वाली प्रेरणा और चाप भट्टियां ।
15	ए० ए० सी०/ए० सी० एस० आर० कंडक्टर ।
16	एल० पी० गैस सिलेंडर ।
17	अमशीनीकृत सी० आई० कास्टिंगस ।
18	रोलर आटा मिलें ।
19	साधारण इस्पात का पुन: बेलन, विशेष इस्पात जैसे इ० एन०–42 का पुन: बेलन निषेध सूची के अन्तर्गत नहीं आता है।
20	कपास से बिनौले निकालना तथा प्रैसिंग (आर० आई० एस० शामिल)।
21	सभी सेवा ईकाईयां जो उत्पादन के लिए उद्योग को सीधे सेवा प्रदान नहीं करती है।
22	साफ्ट पेय (वातित जल) ।
23	ऐस्बेटास उत्पाद।
24	आसवनी/ब्रीवरिज ।
25	घुलनशील द्रव्य निष्कर्षण संयंत्र ।
26	तेल शोधक (खाद्य तथा अखाद्य) ।
27	वनस्पति घी।
28	बर्फ संयन्त्र ।
29	अत्यधिक प्रदूषण वाले 17 उद्योग अर्थात् उर्वरक (नाइट्रोजन फास्फेट) चीनी, सीमेंट, उत्क्षोभण और आसवनी ऐलुमिनियम, पैट्रो–कैमिकल, तापीय ऊर्जा, तेल परिष्करण-शाला सल्फयूरिक अम्ल, धर्मशोधनालय, ताम्र भट्टी,

संख्या	औद्योगिक यूनिटों के नाम (नैगेटिव सूची)
	जस्त भट्टी, लोहा तथा इस्पात, गूदा तथा कागज, रंजक तथा रंजक साधन, पालिकीटमार विनिर्माण और मूल औषधियां तथा औषध-रसायन।
30	कपास, कताई मिल्ल (हिसार तथा सिरसा जिलों के अतिरिक्त)।

टिप्पणी :—यह संशोधन उन औद्योगिक यूनिटों पर लागू नहीं होगा जो दिनांक 15·11·96 से पूर्व स्थापित होकर बिजली का कनैक्शन प्राप्त कर चुकी हैं तथा (ii) जिन्हें उक्त अधिसूचना संख्या 26/2/93-3 एम० आई० पी०, दिनांक 31 जनवरी, 1994 के अधीन पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1958, हरियाणा राज्य में लागू की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अन्तर्गत लगाई जाने वाली समूची बिजली शुल्क की अदायगी से पहले ही छूट दी जा चुकी है।

विष्णु भगवान,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
सिंचाई एवं बिजली विभाग।

13188 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.